स्वदेशी जागरण मंच

::केन्द्रीय कार्यालय::

'धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–110 022

दूरभाषः 011–26184595 ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

दिनांकः 27–07–2011

प्रेस विज्ञप्ति

डॉ. अश्वनी महाजन, सदस्य, केंद्रीय संचालन समिति एवं अखिल भारतीय प्रवक्ता द्वारा संबोधित प्रेस वार्ता के अवसर पर वितरित

कुतर्कों के आधार पर सरकार द्वारा विदेशी कपंनियों को खुदरा व्यापार में अनुमति की जल्दबाजी

संसदीय समिति के सिफारिशों को दरकिनार करते हुए, सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को खुदरा क्षेत्र में अनुमति देने के फास्ट ट्रैक प्रयासों के संदर्भ में स्वदेशी जागरण मंच गंभीर चिंता व्यक्त करता है। 6 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने एक चर्चा पत्र जारी कर खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। हालांकि उसी चर्चा पत्र में सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि संसदीय समिति ने इस हेतु अपना विरोध जताया था। इस चर्चा पत्र के जवाब में इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लोगों ने खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। सरकार के इस फैसले से प्रभावित होने वाले वर्गों ने पहले से ही इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है।

एक क्षेत्र जो 3.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और 1.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जो जी.डी.पी. का 14 प्रतिशत भाग अर्जित करता है और जिसके बाजार का आकार 20 लाख करोड़ से भी अधिक है, सरकार द्वारा गैरजिम्मेदाराना तरीके से वालमार्ट और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को सौपने की तैयारी की जा रही है। ऐसा लगता है कि यूपीए के नेतृत्व वाली भारत सरकार आजकल केवल वालमार्ट, बड़ी कंपनियों और अमरीकी सरकार की बातें ही मान रही है। हाल ही में वित्तमंत्री के सलाहकार कौशिक वसु ने अंतर–मंत्रालय समूह के प्रमुख के नाते यह तर्क दिया था कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देने से देश में मंहगाई को रोका जा सकेगा। कुछ दिन पहले सचिवों की एक समिति ने भी खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी को अनुमति देने का प्रस्ताव करते हुए इसी तर्क का सहारा लिया है।

यदि इन सिफारिशों को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता लगता है कि यह आदेश कहां से आ रहा है। वास्तव में वालमार्ट एवं अन्य बड़ी खुदरा कंपनियों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं अमरीकी सरकार द्वारा भाडे पर लिए गए सलाहकारों की रिपोटों से इन तर्कों को उठाया गया है। अन्तर–मंत्रालय समूह की सिफारिशों और अमरीकी सरकार के सुझावों में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता।

मंहगाई रोकने का कुतर्क

एक ओर तो सरकार मंहगाई रोकने में असफल सिद्ध हो रही है, तो दूसरी ओर इसी बात को खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए तर्क के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खुदरा क्षेत्र में वालमार्ट के आने से मंहगाई कम हो जायेगी। बल्कि सच्चाई तो यह है कि भारत का खुदरा व्यापार जो 20 लाख करोड़ रू. का है, आज मध्यम वर्ग के बढ़ती कमाई के कारण फल–फूल रहा है, यह अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। भारत में उधमशीलता के संरक्षण और बढ़ावा देने के बजाए सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हुए उसे बेचने की तैयारी कर रही है। आज का विकेंद्रीत खुदरा बाजार उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए अतयंत शुभकारी है। अगर बड़ी खुदरा कंपनियों को आने दिया जायेगा, तो वे न केवल उपभोक्ताओं बल्कि छोड़े उत्पादकों एवं किसानों पर अपनी शर्ते लादेगी। शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में छोड़े दुकानदार अत्यधिक कम लागत पर अपना व्यापार चलाने में सक्षम है। यह तर्क कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। शेयर बाजार की तर्ज पर वस्तुओं का एम.सी.एक्स. बाजार शुरू करने में भी यही तर्क दिया गया था कि इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जो एकदम गलत सिद्ध हुआ है।

हमें ध्यान रखना होगा कि खुदरा व्यापार के वर्तमान मॉडल को छेड़े जाने से देश में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर भारी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। आज कृषि में 60 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है। कृषि और अधिक लोगों को खपाने में सक्षम नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र 21 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है और उसमें वृद्धि की कोई संभावना नही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अतिरिक्त क्षमता का निर्माण नहीं हो रहा। ऐसे में खुदरा क्षेत्र ही एक मात्र क्षेत्र है जहां सबसे अधिक रोजगार है। यह क्षेत्र भी बेंकों द्वारा ऋण न दिए जाने के कारण और बड़ी भारतीय कंपनियों द्वारा खुदरा में आने से पहले से ही दबाव में है।

भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज ढांचे का गलत तर्क

दुभाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा भण्डारण और कोल्डस्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी कमी को भी विदेशी कंपनियों को लाने के लिए तर्क के रूप में उपयोग कर रही है। सरकार स्वयं अथवा निजी क्षेत्र को भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी। सरकार द्वारा जारी चर्चा पत्र में यह कहा गया था कि देश में भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 7687 करोड़ रूपये की जरूरत है और यह निवेश विदेशी कंपनियां ही कर सकती है। यह तर्क बड़ा हास्यास्यपद है कि जहां भारत सरकार का वार्षिक बजट 12 लाख करोड़ से भी अधिक है, मात्र 7687 करोड़ रू. के लिए छोटे व्यापारियों के लिए मौत का वारंट लिए दिया जाए, यह कहां तक ठीक है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है।

सरकार का यह तर्क कि वर्तमान खुदरा व्यापारियों का नयी पद्धति में पुनर्वास हो सकेगा, हास्यास्यपद है। छोटे व्यापारियों को नए मॉलस में किसी भी प्रकार से सम्मानपूर्वक रोजगार नहीं मिल सकता। सरकार यदि मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार को खोलने की अनुमति देती है तो वह उसकी छोटे व्यापारियों, रेड्डी–पटरी खोमचा लगाने वाले करोड़ों गरीबों के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक होगा।